रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273943
CG-DL-E-30062026-273943

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3368] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30 , 2026/ आषाढ 9, 1948
No. 3368] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

का.आ. 3503(अ.).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार का यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा हितकर है तथा केंद्र सरकार, ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 में और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्:–

1 **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इस आदेश को तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह आधारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के, पैराग्राफ 2 में, तीसरे परंतुक के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते यह भी कि यह आदेश तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 के प्रारंभ से, 30 नवंबर 2026, तक की अवधि के लिए निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) के अंतर्गत भारत में एयर कंडीशनिंग और रेफ्रीजेरेशन के

लिए उपकरण या उत्पाद या उप-संयोजन या घटक का विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए किसी विनिर्माता द्वारा आयातित माल या वस्तु पर इस तालिका के अंतर्गत माल या वस्तु के विनिर्दिष्ट मात्रा तक लागू नहीं होगा, अर्थात्:–"

तालिका

माल या वस्तुएं	अवधिः जून 2026 से नवंबर, 2026 तक
(1)	(2)
आईएस: 10773:2025 के अंतर्गत आने वाली इनर ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन उपकरण में उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं।	वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान आयातित माल या वस्तुओं की औसत मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं।

नोट:– विनिर्माता को ऐसे माल या वस्तुओं का माह-वार रिकॉर्ड रखना होगा और इसे केंद्र सरकार को अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने पत्रशीर्ष पर संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा।"

[फा. सं. पी - 29026/8/2023– एलईआई]

सुमीत कुमार जारंगल, संयुक्त सचिव

नोट:– मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 25 अप्रैल, 2024 की सां.आ. 1801 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इसमें निम्नानुसार संशोधन किया गया:–

(1) दिनांक 19 फरवरी, 2025 का सा.आ. 884(अ)।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 30th June, 2026

S.O. 3503(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following Order further to amend the Copper Products (Quality Control) Order, 2024, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Copper Products (Quality Control) Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Copper Products (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 2, for third proviso, the following shall be substituted, namely: -

"Provided also that this order shall not apply from commencement of the Copper Products (Quality Control) Amendment Order, 2026 for a period up to the 30th November, 2026 to goods or articles imported by a manufacturer for the purpose of manufacturing equipment or product or sub-assemblies or component for Air Conditioning and Refrigeration in India as per the following TABLE, upto the volume of goods or articles specified under columns (2) of the following Table, namely:-

TABLE

Goods or Articles.	**Period: June 2026 to November 2026.**
(1)	(2)
Inner Grooved Copper Tubes falling under IS 10773:2025 intended for use in Air conditioner and refrigeration equipment.	Not exceeding 50 per cent. of the average quantity of goods or articles imported during the financial years 2024–25 and 2025–26.

Note:- The manufacturer shall maintain month-wise record of such goods or articles and furnish the same to Government authorities concerned in its letter head signed by its authorized signatory to the Central Government.".

[F. No. P-29026/8/2023-LEI]

SUMEET KUMAR JARANGAL, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1801 (E), dated the 25th April, 2024 and subsequently amended as follows: -

(1) S.O. 884 (E), dated the 19th, February, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA